

28 ⁰⁷/₂₅

पत्रावली पेशा हुई। वादी वकील उपस्थित नहीं आये। प्रति. सं. 1 लगा. 5, 13, 14, 16, 17, 18 की ओर से वकालतनामा एवं जवाब श्री विनोद शर्मा एड. द्वारा पेश किये तथा प्रति. सं. 19 की ओर से वकालतनामा श्री P. D. शर्मा द्वारा पेश किया। वादी व उनके वकील को बार. 2 आवाज दिलाई गई। उसके बाद भी कोई उपस्थित नहीं आया।

अतः शर्तगत पत्र शर्ती अदम हाजरी अदम फेरवी में इसी तरह खारिज किया जाता है। न्यायालय हाजा से जारी शुद्ध श्रमगन आदेश दिनांक 25.04.2025 की खारिज किया जाता है।

पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो बाद तकमील जाफा संलग्न मूख बाद हो।


उपखण्ड अधिकारी
भुसावर (भरतपुर) राज०